बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं–प्र01/क्षे0स्था0–34/2001(खंड–II)– 07 /पटना, दिनांक– 17.06.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–117 की उपधारा–02(बी0) के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गए विनियम–2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम–29 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–276/स0को0, दिनांक–08.07.2013 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लाइसेंसिग बोर्ड गठित है।

2. विभागीय अधिसूचना सं0–07 दिनांक–14.02.2023 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र, पर्यवेक्षक, क्षमता प्रमाण–पत्र, तारकर्मी अनुमति–पत्र के नवीकरण, द्वितीयक प्रति एवं नया बुक जारी करने तथा अन्य राज्य से निर्गत विद्युत ठीकेदार लाइसेंसधारी को बिहार राज्य के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट का कार्य अथवा छः माह से अधिक या उसके किसी भाग के कार्यावधि के लिए फीस भुगतान पर पारस्परिक आधार पर इस राज्य का अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु श्री रमेन्द्र कुमार, वरीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

3. पूर्व में इस संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या–16 दिनांक–17.07.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/क्षे0स्था0–34/2001(खंड–II)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–उप सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में मूद्रण हेतु (सी0डी0 एवं दो हॉर्ड कॉपी के साथ) प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/क्षे0स्था0–34/2001(खंड–II)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(ले0 एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/क्षे0स्था0–34/2001(खंड–II)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, ऊर्जा के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/क्षे0स्था0–34/2001(खंड–II)– 2802 /पटना, दिनांक– 17.06.2025

प्रतिलिपिः–सचिव, ऊर्जा के आप्त सचिव, बिहार, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, विद्युत भवन–II, पटना/श्री रमेन्द्र कुमार, वरीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.06.25
सरकार के संयुक्त सचिव।